

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 812/भू अ०

दिनांक : 6/11/12

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मदारीचक, थाना-देवघर, थाना सं०- 256, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना जसीडीह-बैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच लेवल कॉसिंग 04/E -(सतसंग नगर) के स्थान पर पथ उपरी पुल (ROB) निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-मदारीचक, थाना-देवघर, थाना सं०-256, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 13105 वर्गफीट मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०/ TPP No.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल वर्गफीट में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13	155	बसौड़ी	मकान में सहन	8000	(1)विशुराय पे० स्व० रोहन राम वो कौशल्या देवी पि० स्व० जादो राम वो इन्द्रदेव रवानी मता स्व० पातो देवी। (2)अशोक सिंह वो पिकी कुमारी वो शशि भूषण दुबे वो रणजीत कुमार सिंह वो एनसी गांगुली वास्ते अरुण कुमार दास।	दाग नं०-164	मौजा-हिरणा नं०-269	सतसंग बरमसिय I रोड़	अर्जित अंश दाग नं०
2	7/क	257	बसौड़ी	मकान में सहन	920	(1)हुसैन शेख वो नसीर शेख पे० सोवराती शेख वो मकबुल शेख पे० इंदु शेख वो नुर सलीम पे० सफी शेख वो मो० वसीम वो मो० जोसीम वो भूषण वो ओला वो छोटू पे० असगर शेख वो मो० नमीन पे० चिराउदीन शेख वो मो० नेहालुददीन वो मो० महफुज वो मो० आजम पे० मंजुर शेख मो० मुस्तफा वो मो० जमाल पे० मारिजद शेख वो मो० समशेर वो मो० सरफराज पे० मो० सलाउदीन वो मो० करीम वो मो० तहदुल वो मो० नजरूल वो असलम पे० केशवर शेख वो मो० सलीम वो मो० गुलजार वो मो० रियासत वो मो० सोयेब वो मो० केशो शेख वो गुलाल मोहमद पे० सिराज उदीन शेख वो मो० नेहाल। (2) हिमाद्री शेखर राय पे० राय बहादुर कुमार वो हेमेन्द्र कुमार।				
4	1/2 884	5/253A	बसौड़ी	मकान में सहन	300	अमर सेन प्र० सिंह वो अनिल कुमार सिंह वो निरंजन सिंह उर्फ विपिन सिंह माता स्व० सावित्री पति अधिक प्र० सिंह उर्फ अधिक लाल सिंह।				
5	1/2 884	6/253B /T.P.N1 471	बसौड़ी	मकान में सहन	300	भव नाथ झा पि० इद्रनाथ झा वो श्रीमति मीरा देवी पति भवनाथ झा।				
6	1/2 884	7/253.c /T.P.N. 1471	बसौड़ी	मकान में सहन	697.5	रमेश कुमार दुबे पे० रिशी केश दुबे।				



7	1/2 884	8/253. D/T.P.N .1471	बसौड़ी	मकान में सहन	382.5	बालमुकुन्द राय पे० स्व० फौदार राय।
8	1/2 884	9/253E /T.P.N.1 471	बसौड़ी	मकान में सहन	382.5	रविशज उर्फ रविन्द्र राय वो रोहित कुमार भारती पे० नरसिंह प्र० राय वो शशिभूषण राय वो ललीत कुमार भारती पे० स्व० पंचानंद राय।
9	2/2 885	10/255 A	बसौड़ी	मकान में सहन	532.5	श्रीमति प्रमिला प्रसाद पति डा० उमेश प्रसाद।
10	2/2 885	11/255 B	बसौड़ी	मकान में सहन	1590	श्रीमति आशा झा पि० निरंजन झा।
कुल रकवा (वर्गफीट में)–					13105	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

E/R
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 812/ भू अ०, देवघर, दिनांक 6/11/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


6/11/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।